रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2201] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2013/भाद्र 29, 1935
No. 2201] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2013/BHADRA 29, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2013

का.आ. 2825(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 467 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) मे प्रकाशित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्–

उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर में पैरा 2 और टिप्पणियों के पैरा 1, 2 और 4 के लिए निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात–

पैरा – 2 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है ;

और यत, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मैसर्स आई वी आर सी एल चेंगापल्ली टोलवेज लिमिटेड, जो 26–11–2009 को प्रस्तुत की गई बोलियो के सफल बोलीदाता है, जिसका पंजीकृत कार्यालय एम 22/3 आर टी, विजयनगर कालोनी हैदराबाद–500057, आन्ध्रप्रदेश, भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात "रियायतग्राही" कहा गया है), के साथ चेंगापल्ली में 100.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 102.035 कि.मी.) से कोयम्बतूर बाइपास के प्रारम्भ पर 141.660 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 144.680 कि.मी.) तक, और कोयम्बतूर बाइपास की समाप्ति पर 167.830 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 170.880 कि.मी.) से राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के कोयम्बतूर बाइपास के वलयार छोर पर 182.250 (डिजाइन चैनेज 183.010 कि.मी.) तक के खण्ड के छः लेन तथा चार लेन के विभाजित सड़क मार्ग के विकास (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" कहा गया है) उक्त खण्डो के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" कहा गया है)।

टिप्पणी – 1 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है ;

1. नीचे उद्‌ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए शोध्य और संदेय होगा ;

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
कि.मी. / चैनेज 136.840 (विद्यमान चैनेज कि.मी. 134.100) कोयम्बतूर जिले में कानियूर गांव के निकट	30.160

टिप्पणी – 2 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है ;

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुल (पुलों) / संरचना (संरचनाओं) / बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए, जिनकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगा ;

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास की लंबाई (कि.मी. में) और लागत (करोड़ रुपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय होगा।	
कि.मी. / चैनेज 136.840 (विद्यमान चैनेज कि.मी. 134.100) कोयम्बतूर जिले में कानियूर गांव के निकट	लम्बाई	लागत
	पेरूमनल्लुर बाइपास – 4.70 कि.मी. लम्बाई	50.41 करोड़ रुपये
	अविनाशि बाइपास – 7.65 कि.मी. लम्बाई	102.66 करोड़ रुपये

टिप्पणी – 4 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है ;

4. राजमार्ग सेक्शन पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किये जाएंगे, अर्थात् ,

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो – तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

[फा. सं. भाराराप्रा / 13013 / 635 / 11–12 / सीओ / जीसी–कोयम्बतूर (102.035–144.68 और 170.88–183.01) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

संदर्भ : अधिसूचना संख्या का.आ. 467 (अ) तारीख 26 फरवरी, 2013

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2013

S.O. 2825(E).—In exercise of the power conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 467 (E), dated the 26th February, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:—

In the English version of the said notification for paragraph 2 and paragraph 1, 2 & 4 of Notes, the following paragraphs shall be substituted namely:-

For paragraph – 2 following is substituted ;

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s. IVRCL Chengapalli Tollways Limited, having its registered office at M22/3RT, Vijayanagar Colony, Hyderabad – 500057, Andhra Pradesh, India, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 26.11.2009 for the development of Chengapalli to Start of Coimbatore Bypass from Km. 100.000 at Chengapalli (Design Chainage Km. 102.035) to Km 141.660 at Coimbatore Bypass start (Design Chainage Km. 144.680) and from Km. 167.830 (Design Chainage 170.880) at Coimbatore Bypass end, to Km. 182.250 (Design Chainage 183.010) at Walayar End of Coimbatore Bypass on National Highway No. 47 (hereinafter referred to as the "said section") to six lane and four lane divided carriageway respectively and operation and maintenance of the said sections.

For Note – 1 following is substituted ;

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for distance specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km.) for which Fee is payable
Km./Ch. 136.840 (Existing Chainage Km. 134.100) near Kaniyur village in Coimbatore district	30.160

For Note – 2 following is substituted ;

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/structure(s)/Bypass(s), cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza (chainage)	Bypass Length (in km.) and Cost of Bypass (in Rupees crore) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
Km./Ch. 136.840 (Existing Chainage Km. 134.100) near Kaniyur village in Coimbatore district .	Perumanallur Bypass – 4.70 Km. length	Rs. 50.41 Crore
	Avinashi Bypass – 7.85 Km. length	Rs. 102.66 Crore

For Note – 4 following is substituted;

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

[F. No NHAI/13013/635/11-12/CO/GC-Coimbatore (102.035-144.68 & 170.88-183.01) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Reference : Notification No S.O. 467 (E) dated 26th February, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 431]	नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 2013/फाल्गुन 7, 1934
No. 431]	NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2013/PHALGUNA 7, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2013

का.आ. 467(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 465(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के 0.000 कि.मी. से 182.040 कि.मी. (सेलम से केरल/तमिलनाडु सीमा सेक्शन) और केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के 182.40 कि.मी. से 316.000 कि.मी. तक और 332.600 कि.मी. से 349.000 कि.मी. (तमिलनाडु/केरल सीमा से कोच्चि सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यत:, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मैसर्स आइ वी आर सी एल चेंगापल्ली टोलवेज लिमिटेड, जो 26-11-2009 को प्रस्तुत की गई बोलियों के सफल बोलीदाता हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय एम 22/3 आर टी, विजयनगर कालोनी हैदराबाद-500057, आन्ध्रप्रदेश, भारत में हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है), के साथ चेंगापल्ली में 100.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 102.035 कि.मी.) से कोयम्बतूर बाइपास के प्रारम्भ पर 141.660 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 144.680 कि.मी. तक, और कोयम्बतूर बाइपास की समाप्ति पर 167.830 कि.मी. डिजाइन चैनेज 170.880 कि.मी.) से राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के कोयम्बतूर बाइपास के वलयार छोर पर 182.250 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 183.010) तक के खण्ड के छ: लेन तथा चार लेन के विभाजित सड़क मार्ग के विकास (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" कहा गया है) उक्त खण्डों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" कहा गया है)।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन, निवेशित पूंजी पर ब्याज, उचित लाभ, यातायात का परिणाम और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर चार या अधिक लेने के

अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर चार या अधिक लेन खण्डों के उपयोग हेतु निवल सड़क खण्ड की 30.160 किमी लम्बाई के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है) और पुलों/संरचना/बाइपास जिनकी लागत पचास करोड़ या अधिक है, का उपयोग हेतु नीचे सारणी 1 और 2 में निर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी सं. 2 में निर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जायेगा, और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, करार में निर्दिष्ट समापन की तारीख तक, शुल्क का संग्रहण तथा उसे प्रतिधारित के लिए उक्त रियायतग्राही को प्राधिकृत करती है;

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
भारी संख्या निर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (इएमइ.) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एसएवी) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी-2

शुल्क की आधार दर (प्रति वाहन प्रति फेरा)					
स्थायी पुल, या सुरंग बाइपास की लागत (करोड़ रूपये में)	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	हल्का वाणिज्यिक वाहन, हल्का माल वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस (दो धुरी वाले)	भारी निर्माण मशीनरी अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय वाहन (तीन से छह धुरी वाले)	बड़े आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)
10 से 15	5	7.50	15	22	30

है मासिक पास की दर 200.00 रुपए (दो सौ रुपए मात्र) है जो राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष संशोधन के अध्यधीन है ।

4. राजमार्ग सेक्शन पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किये जाएंगे, अर्थात्:-

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो -तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

6. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित [illegible] नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

8. ऊपर सारणी 1 और 2 में यथा उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि छह महीने के अन्दर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/635/11-12/सीओ/जीसी-कोयम्बतूर (102.035-144.68 और 170.88-183.01) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2013

S.O.467(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 465(E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 182-040 (Salem to Kerala/Tamil Nadu Border section) of National Highway No. 47 in the State of Tamil Nadu and Kilometer 182-040 to Kilometer 316-000 and Kilometer 332-600 to Kilometer 349-000 (Tamil Nadu/Kerala Border to Kochi section) of National Highway No. 47 in the State of Kerala to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s IVRCL Chengapalli Tollways Limited, having its registered office at M22/3RT, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057, Andhra Pradesh, India, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 26.11.2009 for the development of Chengapalli to Start of Coimbatore Bypass from Km 102.035 (Design Chainage) to Km 144.680 (Design Chainage) and End of Coimbatore Bypass to Tamil Nadu/Kerala Border from Km 170.880 (Design Chainage) to Km 183.010 (Design Chainage) on National Highway No. 47 (hereinafter referred to as the "said section") to six lane and four lane divided carriageway respectively and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length of 30.160 Kms for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rates specified in the Table No. 2 for bridges/structure/ bypass costing Rupees Fifty crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

792 GI/13-2

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Three to Six Axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or more Axles)	4.20

Table 2

Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)					
Cost of permanent bridge, or tunnel/bypass (Rupees in crore)	**Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle**	**Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus**	**Truck or Bus (Two Axles)**	**HCM, EME or MAV (Three to Six Axles)**	**Oversized Vehicle (Seven or more Axles)**
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	4.50	6
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred crore and up to Rupees two hundred crore.	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50

Notes: -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch. 136.840 (near Kaniyur village in Coimbatore district)	30.185

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/structure(s)/Bypass (s), cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Bypass Length (in km) and Cost of bridge /structure (in Rupees crore) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
Km/Ch. 136.840 (near Kaniyur village in Coimbatore district)	4.70 Km	Rs. 50.41 crore
	7.85 Km	Rs. 102.66 crore

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 which is subject to re every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rate namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

8. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 & 2, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

[F. No. NHAI/13013/635/11-12/CO/GC-Coimbatore (102.035-144.68 & 170.88-183.01) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054